बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र0–13–106 / 2026 6730 / खाद्य,पटना / दिनांक 29-10-2026

प्रेषक,

सत्येन्द्र नारायण सिंह
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

श्री अरविंद कुमार सिंह,
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
भागलपुर।

विषयः– सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 42 दिनांक 01.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा सेवा विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र के संबंध में निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना से मंतव्य मांगी गयी। प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। तदोपरांत आपके सेवा विस्तार संबंधित आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,
28/10/2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– प्र0–13–106 / 2026 6730 खाद्य / पटना, दिनांक– 29-10-2026

प्रतिलिपिः–निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितेष आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/10/2026
सरकार के उप सचिव।

OIC

d/sec 2, 2026/Draft 198-Y